भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2429
03.08.2026 को उत्तर के लिए

वन संरक्षण और संधारणीय प्रबंधन

2429. श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवसंरचना के विस्तार के कारण बनों को टुकड़ों में बंटने से बचाने के लिए कोई नीति है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे उपायों की प्रभावशीलता क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारें वन संरक्षण विधियों और दिशा-निर्देशों का पालन कर रही हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नियमों के उल्लंघन संबंधी की गई-कार्रवाई क्या है;

(ग) क्या वन संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थानीय समुदायों तक उनकी पहुँच कितनी है;

(घ) क्या सरकार की राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत वन क्षेत्र कवर बढ़ाने संबंधी लक्ष्यों की योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय-सीमा क्या है; और

(ङ) क्या वनों को बचाने और उनके संधारणीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यापक राष्ट्रीय रणनीति कार्यान्वित की जा रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो विलंब के कारण क्या हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ख) वन (संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम), 1980 और उसके अंतर्गत जारी नियमों एवं दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अंतर्गत अवसंरचना परियोजनाओं सहित वन भूमि का गैर-वानिकी प्रयोजनार्थ अन्यत्र उपयोग का विनियमन किया जाता है। वन भूमि के अन्यत्र उपयोग संबंधित प्रस्तावों की जांच वानिकी, वन्यजीव और पर्यावरण संबंधी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए मामला-दर-मामला आधार पर की जाती है। ऐसे प्रस्तावों पर विचार करते समय, वन भूमि की आवश्यकता को न्यूनतम करने और वनों के विखंडन को रोकने या कम करने पर बल दिया जाता है।

राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980, इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। जिन मामलों में उल्लंघन पाया जाता है उन-पर, अधिनियम और उसके अंतर्गत जारी किए गए नियमों और दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है।

(ग) को (ड.) भारत सरकार राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के सहयोग से, वन संरक्षण और वन संसाधनों के संधारणीय प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कई जागरूकता और जनसंपर्क कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती है। इनमें वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने और पर्यावरण संरक्षण में जनभागीदारी बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी जन अभियान, वन महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस और वन्यजीव सप्ताह का आयोजन, साथ ही सेमिनार, कार्यशालाएं, प्रकृति शिविर, पर्यावरण विकास गतिविधियां, स्कूल और कॉलेज जागरूकता कार्यक्रम, वृक्षारोपण अभियान और सामुदायिक जनसंपर्क पहल शामिल हैं।

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में देश के कुल भूमि क्षेत्र के कम से कम एक तिहाई हिस्से को वन या वृक्ष आवरण के अंतर्गत रखने और देश के पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे आवरण के अंतर्गत दो तिहाई क्षेत्र को रखने का राष्ट्रीय लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।

वन और वृक्ष आवरण को बढ़ाने के लिए, मंत्रालय विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे कि राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम), प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (काम्पा), नगर वन योजना, तटीय पर्यावास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी) आदि के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इसके अलावा, सहभागिता परक दृष्टिकोणों के माध्यम से, ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियाँ (जेएफएमसी) और ग्राम पारि-विकास समितियाँ (ईडीसी) स्थापित की गई हैं, जिनमें वन पर निर्भर समुदायों और आदिवासियों की आजीविका संवर्धन सहित स्थानीय समुदायों को वन संरक्षण, संवर्धन और वनों के प्रबंधन में शामिल किया गया है।

वर्ष 2023 में मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता-2023, देश भर में वनों के वैज्ञानिक और संधारणीय प्रबंधन के लिए राज्य वन विभागों द्वारा कार्य योजनाओं की तैयारी के लिए मार्गदर्शक ढांचे के रूप में कार्य करती है।
